

राजस्थान RAJASTHAN

A 921835

!! श्रीरामजी !!

--: विक्रय - पत्र ::--

मै सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनिवास यादव, उम्र 31 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) (विक्रेता)

बनाम

सन्तोष तकनीकी एंव शैक्षणिक विकास समिति, फतेहपुरा कलां, पोस्ट कांसली, तहसील कोटपूतली, जरिये अध्यक्ष श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) (क्रेता)

सन्तोष

MSHE



08104111

उप-पंजीयक, कोटपूतली



राजस्थान RAJASTHAN

A 921836

जैकि मेरी खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि वाके ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0) में स्थित खसरा नम्बर 954/275 रकबा 0.27 हैक्टेयर है। उक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गमीटर भूमि मैनें कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश क्रमांक राजस्व-11/2007/916 दिनांक 06-11-07 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवा रखी है। उक्त भूमि प्रत्येक प्रकार के आड़, भार, ऋण आदि से मुक्त है तथा पूर्व में किसी के रहन या विक्रय आदि नहीं है। अब मुझे दिगर कार्यो वास्ते रूपयो की आवश्यकता है इसलिए मैने अपने स्वस्थचित्त एवं स्थिर बुद्धि से उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर की भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) के हक खातेदारी कब्जा, हक पूला, पेड़, सुखाधिकार बहक सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति, फतेहपुरा कलां, पोस्ट कांसली, तहसील कोटपूतली, जरिये अध्यक्ष श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली,

Handwritten signature/initials.



सन्तोष



8.4.2011

217

84811
बलदेव सिंह जीजा
हस्ताक्षर विभेता
एन. नं. 15/02 कोटा (राज.)

सुरेंद्र सिंह
राम बाला 2007
मतेपुरा कालन

(Signature)

सुरेंद्र

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-SURENDER SINGH/RAMNIWAS
Age:31. Caste-AHIR
Occi.-AGR
R/O-FATHPURA KALAN



(And Claimant)
1-SANTOSH TAKNIKI & EDU. VIKASH SAMITI BY
SANTOSH YADAV/SURENDER SINGH
Age:30. Caste-AHIR
Occu.-HW
R/O-FATHPURA KALAN

सन्तोष



ने लेख्यपत्र SALE DEED FOR FEMALE/40% and Above Disable (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 400000/- पूर्व में/मेरे शशिकान्त
समक्ष/मे से रू0 400000/-पूर्व में _____
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री SHASHIKANT
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER उम्र 21 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी PAWANA AHIR

शशिकान्त





2. श्री/श्रीमती/सुश्री GAJRAJ
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMKARAN उम्र 35 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय AGR
निवासी SARUND ने की है जिनके



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2011001846) उप पंजीयक, KOTPUTLI
(SALE DEED FOR FEMALE/40% and Above Disable (CONVEYANCE DEED))

(Signature)
उप पंजीयक, कोटपुटली



₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

RAJASTHAN



चित्र व पत्र

श्री सुरेन्द्र सिंह वाघव पुत्र श्री रामनिवास वाघव, आयु 30 वर्ष, बाँस अहीर, निवासी फोल्पुरा कर्ना, पोस्ट काली, तहसील कोटपुलही, जिला बयपुर बीरसेवक मुखवार आम श्री रामेरा वाघव पुत्र श्री रामनिवास वाघव, निवासी फोल्पुरा कर्ना, पोस्ट काली, तहसील कोटपुलही, जिला बयपुर ।

— प्रकाश खन्ना-बीकानेर

वस

सन्तोष ठानीजी एवं वैद्यकि विकास समिति, फोल्पुरा कर्ना, पोस्ट काली, तहसील कोटपुलही, जिला बयपुर बीरसे अध्यक्ष श्रीमती सन्तोषदेवी पति श्री सुरेन्द्र सिंह वाघव, निवासी फोल्पुरा कर्ना, जिला बयपुर ।

— शशिधर खन्ना-बीकानेर

के लक्ष में यह चित्र व पत्र निम्न प्रकार निष्पादित कर देता हूँ कि :-

रजिस्ट्रार, बयपुर

सन्तोष

सन्तोष



राजस्थान RAJASTHAN

H 898070



-:: संपरिवर्तन आदेश पंजीयन ::-

मैं सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां, जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामनिवास, आयु 38 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) का हूँ। UID-7841-6783-8752

यह है कि राजस्व ग्राम फतेहपुरा कलां, ग्राम पंचायत कांसली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 275/0.28, 954/275/0.27 कित्ता 2 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में मेरा हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त

सन्तोष



खसरा नम्बर 275/0.28 में से 0.05 हैक्टेयर 500 मीटर एवं खसरा नम्बर 954/275/0.27 में से 0.05 हैक्टेयर यानि 500 मीटर इस प्रकार कुल 0.10 हैक्टेयर यानि 1000 वर्गमीटर भूमि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश क्रमांक राजस्व-II/2018/1172-1175 दिनांक 19-07-2017 के द्वारा सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां, जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामनिवास, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) के पक्ष में संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गयी है। जिसके चालान संख्या 740 दिनांक 03-11-2007 को 5,000/- रुपये एवं चालान संख्या 1002 दिनांक 06-02-2008 राशि 5000/- रुपये कुल 10,000/- रुपये एवं जी.आर.नं. 23655421 दिनांक 25-06-2018 को 6620/- रुपये इस प्रकार कुल 16620/- रुपये राजकोष में जमा करवा चुके है। अब हक हो गया है कि राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन दर्ज करावे, निर्माण करे, उपयोग-उपभोग में लेवे, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लेवे, प्लाटिंग करे, रहन करे, बेचान करे, नल, बिजली कनेक्शन अपने नाम से लेवे।

अतः यह पट्टा रजिस्ट्रेशन मुद्रांक 500/- रुपये सरचार्ज 100/- रुपये के स्टाम्प पर राजी खुशी, बिना किसी दिगर दबाव, बिना नशे पते, अपने स्वस्थचित्त एवं स्थिरबुद्धि

सन्तोष

की अवस्था में दस्तावेज को पढ़, सुन, समझकर सही मानते हुए रूबरू गवाहान लिखवा

कर अपने हस्ताक्षर कर दिये है कि प्रमाण रहें वक्त जरूरत काम आवें।

ड्राफ्टकर्ता :- सुरेन्द्र चौधरी, एडवोकेट, कोटपूतली

दिनांक :- 20-07-2018

साक्षीगण

विरेन्द्र सिंह

हस्ताक्षर

शुभेन्द्र

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेरसिंह यादव, आयु 23 वर्ष
निवासी छाजा की नांगल, तहसील नीमकाथाना सीकर
UID-8789-4093-5806

2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनिवास यादव आयु 40 वर्ष
निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली
UID-7861-0241-3905

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

कमांक : राजस्व -II/2018/

दिनांक

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष सन्तोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान के आवेदन पर पहले से अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 (द्वितीय संशोधन-2016) के नियम 10(4) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पुरा पता	:	सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष सन्तोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3	आदेश की संख्या और दिनांक उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	कार्यालय हाजा के आदेश कमांक राजस्व -II/2007/916-919 दिनांक 06.11.2007 तथा राजस्व -II/2008/127-130 दिनांक 08.02.2008 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित
4	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन	:	संस्थानिक(शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	क	ग्राम/पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम फतेहपुरा कलां, ग्राम पंचायत कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
	ख	भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर में)	ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 275/0.28 मे से 0.05 तथा 954/275/0.27 मे से 0.05 किता 2 कुल रकबा 0.55 मे से 0.10 हैक्ट0
	ग	संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर एवं वर्गमीटर में)	ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 275/0.28 मे से 0.05 तथा 954/275/0.27 मे से 0.05 किता 2 कुल रकबा 0.55 मे से 0.10 हैक्ट0(1000 वर्गमीटर) भूमि रूपान्तरित की गई।
टिप्पणी			
			अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
6	मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	:	10/-प्रति वर्गमीटर

8	पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	:	16.62/- प्रति वर्गमीटर
9	चालान की संख्या तथा तारीख सहित संपरिवर्तन प्रभारो के अन्तर की जमा कराई गई रकम	:	जी.आर.एन. 23655421 दिनांक 25.06.2018 राशि 6620/-राजकोष में जमा करवाई गई
10.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नहीं
11	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नहीं
12.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	:	नहीं

13. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का 'उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम-4 यथा- वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर एन.एच.ए.आई से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क हेतु छोड़ी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
6. निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों के अनुसार निर्धारित सैट बेक छोड़ते हुए निर्माण कार्य कराया जावेगा।
7. रूपान्तरित भूमि से संबंधित यदि किसी प्रकार की देयता निर्धारित की जाती है तो देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27-06-2007 एवं क्रमांक प. 6 (6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17-07-2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. आवेदित भूमि में से यदि पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-5-08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
10. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मुहर



उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

2